## कार्यालय कलेक्टर, (जनजातीय कार्य विभाग) अनूपपुर म०प्र०

email- twelfareanu-mp@mp.nic.in

**2** 07659-222895

कमांक / 3864/सामा.स्था / ज.का.वि. / 2023 अनूपपुर दिनांक 07/07/2023

## //आदेश//

<sup>1</sup>मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के ज्ञाप कमांक/एफ 6–1/2021/एक/9 भोपाल दिनांक 14.06.2023 एवं आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक / स्था. / 2023–24 / 12483 भोपाल दिनांक 23.06.2023 में दिये गये निर्देशानुसार माननीय प्रभारी मंत्री जिला अनुपपुर के अनुमोदन उपरांत निम्नलिखित कर्मचारियों को स्वयं के व्यय पर तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित करते हुये समान पद एवं सामर्थ्य में अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके नाम के सम्मुख कॉलम कमांक 05 में दर्शाये गये स्थान पर पदस्थ किया जाता है:

911	नर नदर्भ निग्ना जाता हः			
क	नाम	पद	पदस्थ संस्था	स्थानान्तरण पश्चात नवीन पदांकित संस्था
1	2	3	4	5
1	श्री शोभा सिंह	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रा.वि.पंचायतटोला	शा.प्रा.वि.मझगवां
2	श्री रमाकांत प्रजापति	प्राथमिक शिक्षक	शा.मा.वि.पयारी क.01	शा.प्रा.वि.कोंड़ा
3	श्री अमर सिंह मरावी	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रा.वि.पंचायतटोला	शा.मा.वि.घोटईकला
4	श्रीमती लीलावती केवट	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रा.वि.छातापटपर	शा.प्रा.वि.टिकुरीटोला
5	श्री विनोद कुमार संत	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रा.वि.खुसुरगोड	शा.प्रा.वि.सरईपतेरा
6	श्री गनेश प्रसाद शुक्ला	प्राथमिक शिक्षक	शा.हाईस्कूल थानगांव	शा.प्रा.वि.बैगाडबरा
7	श्री भगवानदास बैगा	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रा.वि.बहुटाडांड	शा.प्रा.वि.केरहाटोला
8	श्री अनिरूद्ध गुप्ता	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रा.वि.मानिकपुर	शा.प्रा.वि.अंजनी
9	श्रीमती नम्रता तिवारी	प्राथमिक शिक्षक	शा.मा.वि.पंगना	शा.प्रा.वि.देवरी आजाक
10	श्री आशीष कुमार बैगा	प्राथमिक शिक्षक	शा.प्रा.वि.कपरिया	शा.प्रा.वि.बैरगिहाटोला
11	श्रीमती ज्योत्सना सिंह मार्को	प्राथमिक शिक्षक	शा.मा.वि.चिल्हियामार	शा.प्रा.वि.पटना
12	श्री थानेश्वर सिंह परस्ते	सहायक शिक्षक	शा.मा.वि.सकोला	शा.मा.वि.बा.चोलना
13	श्री कुन्जेश सिंह धुर्वे	सहायक ग्रेड-03	शा.च.मा.वि.अमदरी	कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पुष्पराजगढ
14	श्री लालदास कोल	सहायक ग्रेड–03	शा.ज.मा.वि.पिपरिया	शा.उ.मा.वि.पसला
15	श्री राजकुमार सिंह	भृत्य	शा.उ.मा.वि.भेजरी	शा.मा.वि.बिलासपुर

स्थानान्तरण निम्न शर्तो के अधीन रहेगा:-

- 1. स्थानान्तरण आदेश जारी होने के दो सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। तथा इस संबंध में सामान्य प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों
- 2. उक्त अवधि में स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारी यदि कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे एकतरफा कार्यमुक्त किया जायेगा। एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानान्तरित आदेश कियान्वित होना माना जाएगा।
- 3. कार्यमुक्ति आदेश में संबंधित कर्मचारी का एम्प्लाई कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय।
- 4. निर्धारित समयाविध के उपरांत कर्मचारी/अधिकारी का वेतन जिस स्थान से स्थानान्तरण किया गया है उस स्थान से अनिवार्यतः बंद हो जायेगा।
- 5. कार्यमुक्ति के तत्काल पश्चात अंतिम वेतन प्रमाण पत्र तथा अन्य सेवा अभिलेख आवश्यक रूप से नवीन पदस्थापना कार्यालय कों भिजवा दिये जायेगें।
- 6. कार्यमुक्त होने के पश्चात स्थानान्तरित अधिकारी कर्मचारी का वेतन नवीन पदस्थापना से ही आहरित होगा।

E:/Guru/Letter

7. कार्यमुक्त होने के पश्चात एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यग्रहण करने के मध्य की अवधि के किसी भी प्रकार का अवकाश प्रशासकीय विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात ही नवीन संस्था के द्वारा स्वीकृत किया जावेगा।

8. स्थानान्तरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाईन

करने के पश्चात स्वीकृत किया जावेगा।

9. यदि स्थानान्तरण के पश्चात किसी संस्था में शिक्षक अतिशेष हो जाते है तो उस शिक्षक का स्थानान्तरण स्वतः निरस्त माना जावेगा।

10. यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी अध्यापक संवर्ग का स्थानान्तरण हो गया हो, तो उस अध्यापक का स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

सहायक आयुक्त सहायक आयुक्त सम्जातीय कार्य विभाग अनूपपुर अनूपपुर, दिनांक () 7/07/2023

पृ.कमांक / 3 8 6 5/ सामा.स्था. / ज.का.वि. / 2023 प्रतिलिपिः—

1. निज़ सहायक, माननीय मंत्री जी जनजातीय कार्य विभाग म०प्र० शासन भोपाल।

2. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म०प्र० भोपाल।

3. कलेक्टर, जिला अनूपपुर म०प्र०।

4. मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर।

संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य विभाग तथा अनुसूचित जाति विकास शहडोल संभाग शहडोल।

6. जिला कोषालय अधिकारी जिला अनूपपुर म०प्र०।

7. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अनूपपुर/जैतहरी/कोतमा/पुष्पराजगढ जिला अनूपपुर म०प्र०।

8. प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. / हाईस्कूल...... जिला अनूपपुर म०प्र०।

9. प्रधानाध्यापक, शा.मा.वि./प्रा.वि.....जेला अनूपपुर म०प्र०।

10. संबंधीजन श्री / श्रीमती ..... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

सहोयक आयुक्त

E:/Guru/Letter